राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

जिला हिट वेव योजना

वर्ष—2025

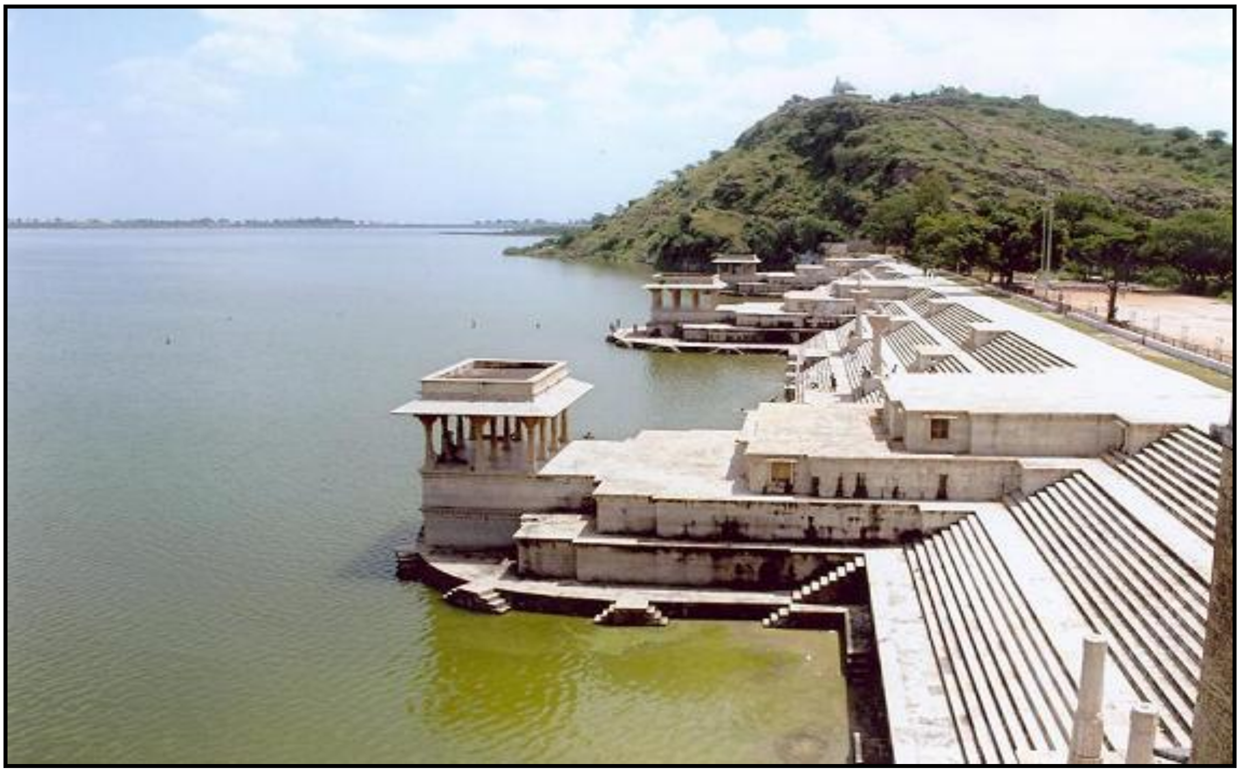

" राजसमन्द झील "

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

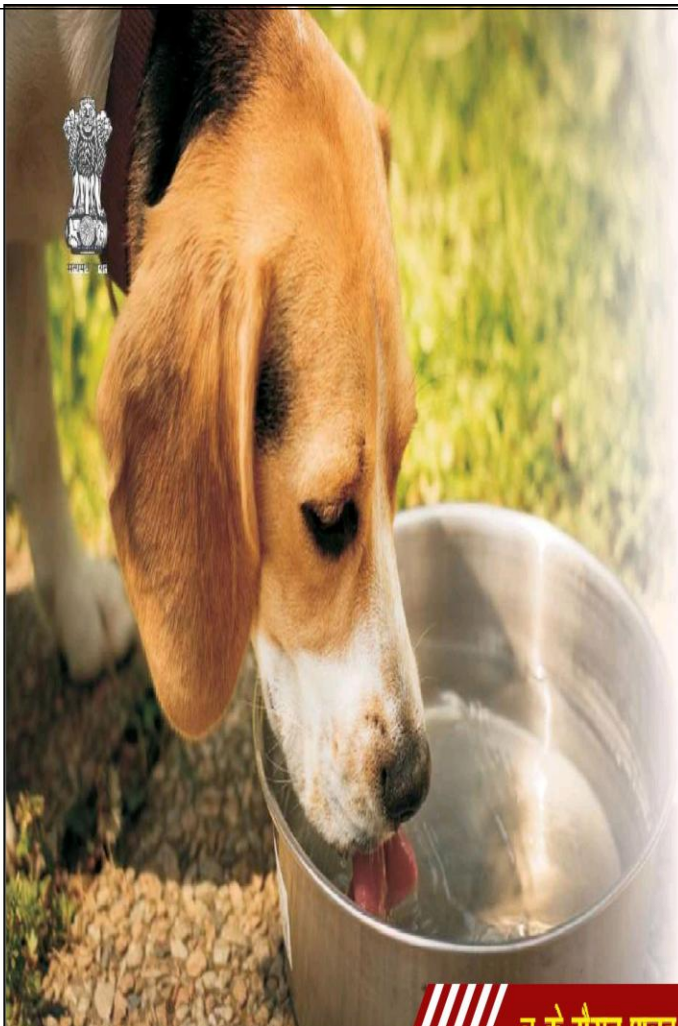

अपने जानवरों को "लू" से बचाएं

लू के दौरान पालतू जानवरों के लिए सावधानियां

- जहा तक संभव हो, तेज गर्मी के दौरान उन्हें घर के भीतर रखें
- यदि उन्हें घर के भीतर रखा जाना संभव न हो तो उन्हें किसी छायादार स्थान में रखें, जहां वे आराम कर सकें। ध्यान रखें कि जहां उन्हें रखा हो वहां दिनभर छाया रहें।
- जानवरों को किसी बंद में न रखें, क्योंकि गर्म मौसम में इन्हें जल्दी गर्मी लगने लगती है।
- ध्यान रखें कि आपके जानवर पूरी तरह साफ हों, उन्हें ताजा पीने का पानी दें, पानी को धूप में न रखें। दिन के समय उनके पानी में बर्फ के टुकड़े डालें।
- पीने के पानी के दो बाउल रखें ताकि एक में पानी खत्म होने पर दूसरे से वे पानी पी सकें।
- अपने पालतू जानवर का खाना धूप में न रखें।
- यदि आपके पास कुत्ता है तो उसे गर्मी में न टहलाएं। उसे सुबह और शाम को घुमाएं जब मौसम में ठंडा हो।
- कुत्ते को गर्म सतह (पटरी, तारकोल की सड़क, गर्म रेत) पर न चलाएं।
- किसी भी स्थिति में जानवर को वाहन में न छोड़ें।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग Toll Free No. - 112/1070 https://dmrelief.rajasthan.gov.in

"लू"
यानी तेज़ गर्मी
जानलेवा हो सकती है!
निम्नलिखित सावधानियां बरतें
स्थानीय मौसम संबंधी खबरों के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें, और समाचारपत्र पढ़ें
पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं – भले ही प्यास न लगी हो
ओआरएस (ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन), घर में बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का मांड) नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन कर तरोताज़ा रहें।
हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें।
अपना सिर ढककर रखें, कपड़े, हैट अथवा छतरी का उपयोग करें।
जानवरों को छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
बच्चों अथवा पालतू जानवरों को वाहनों में छोड़कर न जाएं – उन्हें लू लगने का खतरा हो सकता है।
HEAT WAVE
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
Toll Free No. - 112/1070
https://dmrelief.rajasthan.gov.in

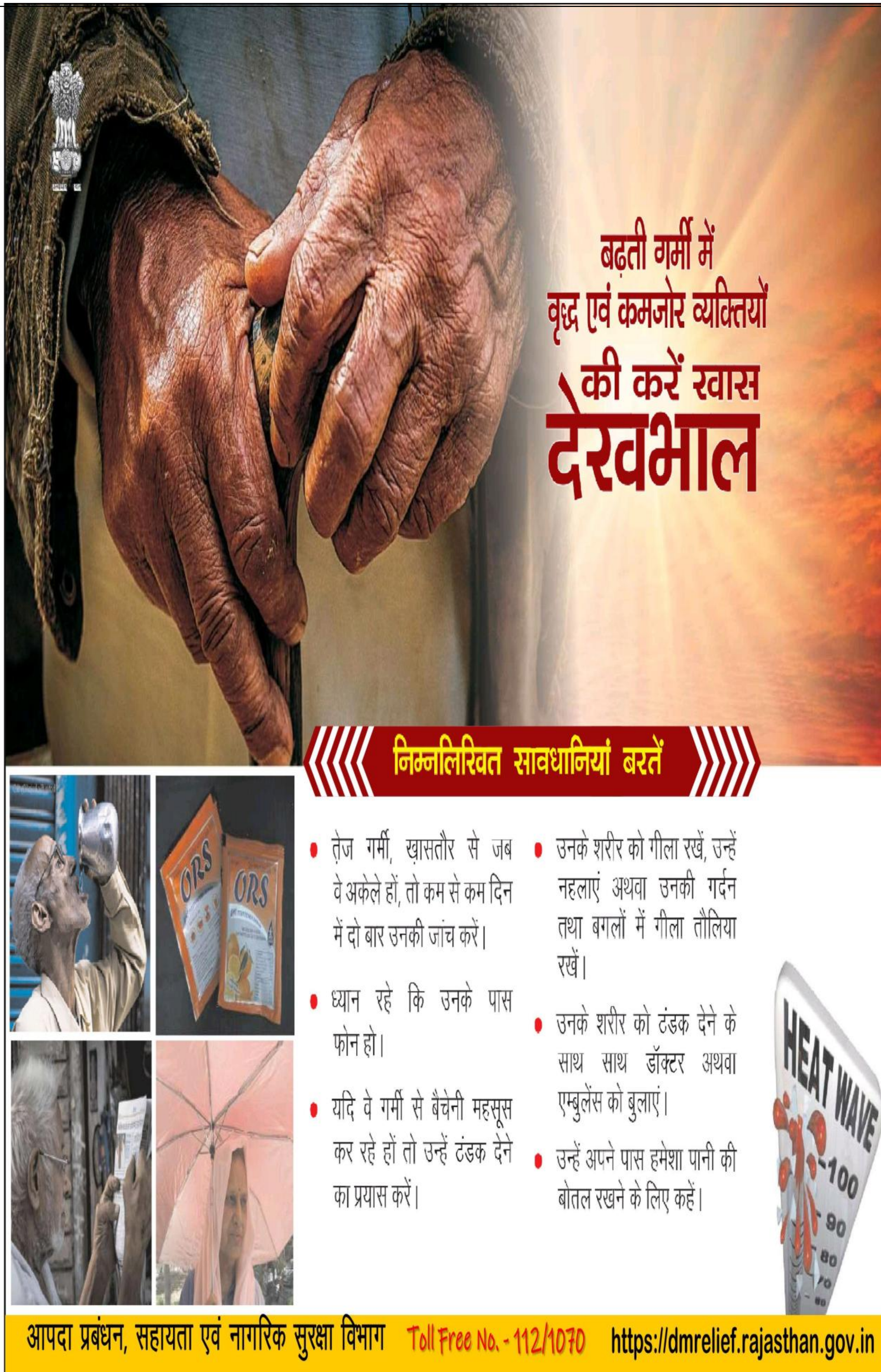
बढ़ती गर्मी में
वृद्ध एवं कमजोर व्यक्तियों
की करें खास
देखभाल
निम्नलिखित सावधानियां बरतें
ORS
ORS
• तेज गर्मी, ख़ासतौर से जब वे अकेले हों, तो कम से कम दिन में दो बार उनकी जांच करें।
• ध्यान रहे कि उनके पास फोन हो।
• यदि वे गर्मी से बैचेनी महसूस कर रहे हों तो उन्हें ठंडक देने का प्रयास करें।
• उनके शरीर को गीला रखें, उन्हें नहलाएं अथवा उनकी गर्दन तथा बगलों में गीला तौलिया रखें।
• उनके शरीर को ठंडक देने के साथ साथ डॉक्टर अथवा एम्बुलेंस को बुलाएं।
• उन्हें अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखने के लिए कहें।
HEAT WAVE
100
90
80
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
Toll Free No. - 112/1070
https://dmrelief.rajasthan.gov.in

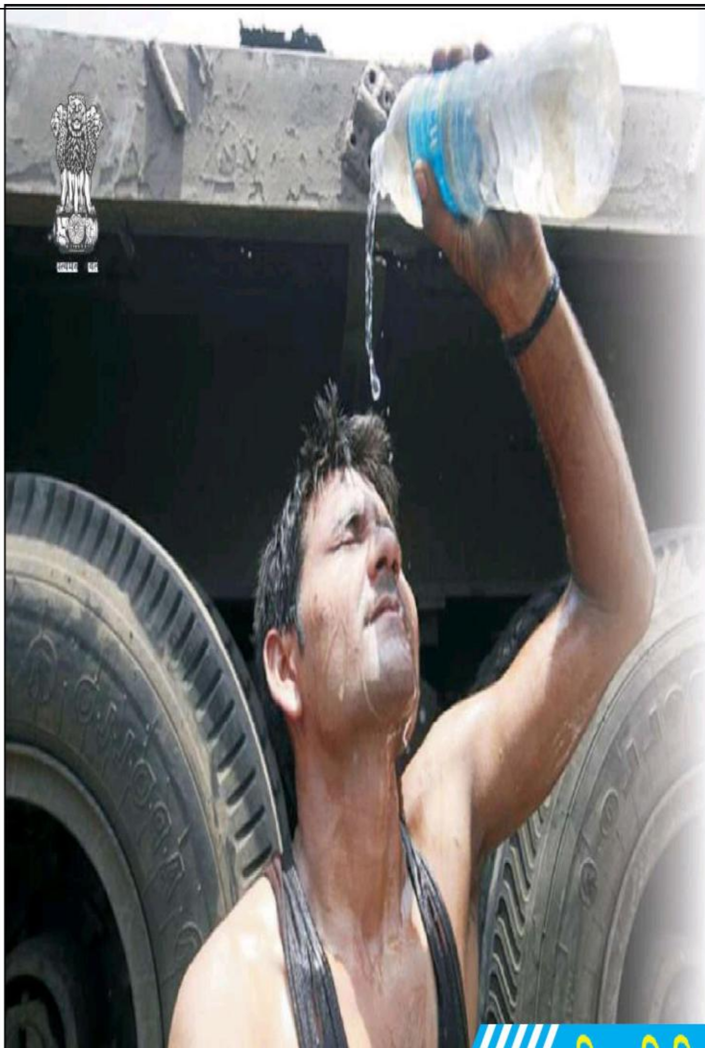

क्या आप घर से बाहर “लू” में काम करते हैं?

निम्नलिखित सावधानियां बरतें

- स्थानीय मौसम संबंधी खबरों के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें, और समाचारपत्र पढ़ें।
- पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं – भले ही प्यास न लगी हो।
- ओआरएस (ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन), घर में बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का मांड) नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन कर तरोताज़ा रहें।
- हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें।
- अपना सिर ढककर रखें, कपड़े, हैट अथवा छतरी का उपयोग करें।
- नंगे पांव बाहर न जाएं।
- गर्मी से राहत के लिए हाथ का पंखा अपने पास रखें।
- काम के बीच में थोड़ा–थोड़ा विश्राम लें।
- पेड़ या छाया में ही आसरा लें।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग Toll Free No. - 112/1070 https://dmrelief.rajasthan.gov.in

अपने बच्चों को तेज़

"लू"

से बचाएं

बच्चों के लिए सावधानियाँ

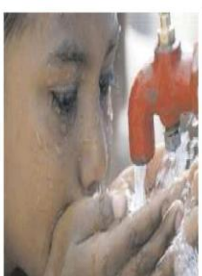

- हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखें। नींबू पानी / छाछ / नारियल पानी / ताज़े फलों के रस का नियमित रूप से सेवन करें।
- हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें।
- अपना सिर ढककर रखें, कपड़े, हैट अथवा छतरी का उपयोग करें।
- गर्मी के मौसम में जंक फूड का सेवन न करें। ताज़े फल, सलाद तथा घर में बना खाना खाएं।
- ख़ासतौर से दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे के बीच धूप में सीधे न जाएं। शाम के समय खेलें।
- यदि बच्चे को चक्कर आएं, उल्टी, घबराहट अथवा तेज़ सिरदर्द हो, सीने में दर्द हो अथवा सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो उसे डॉक्टर को दिखाएं।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग Toll Free No. - 112/1070 https://dmrelief.rajasthan.gov.in

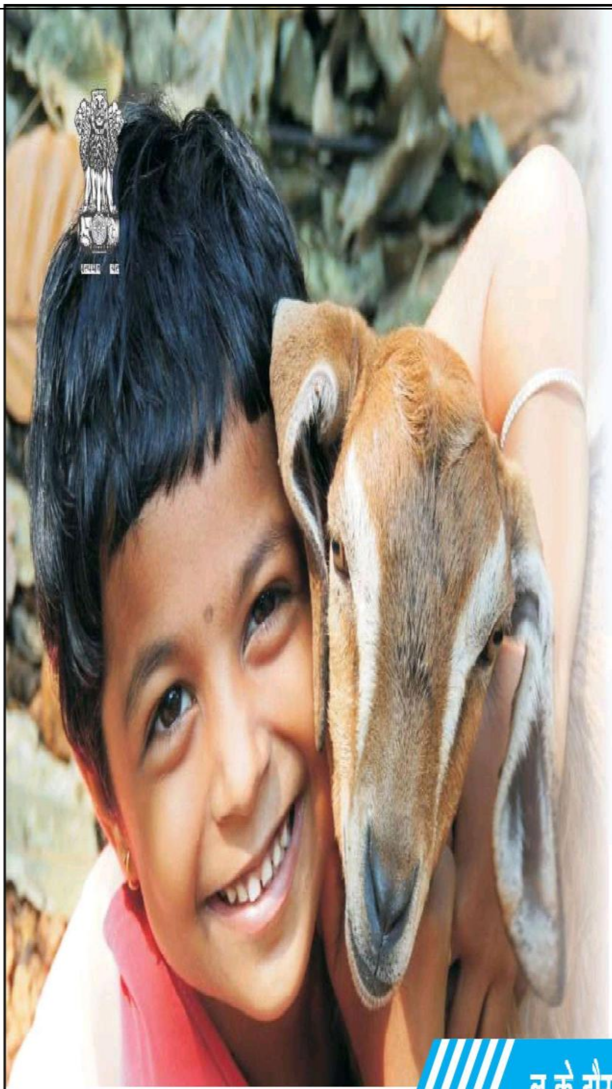

अपने जानवरों को "लू" से बचाएं

लू के दौरान पालतू जानवरों के लिए सावधानियां

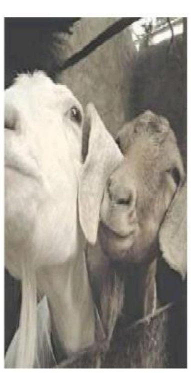

- जहा तक संभव हो, तेज गर्मी के दौरान उन्हें घर के भीतर रखें
- यदि उन्हें घर के भीतर रखा जाना संभव न हो तो उन्हें किसी छायादार स्थान में रखें, जहां वे आराम कर सकें। ध्यान रखें कि जहां उन्हें रखा हो वहां दिनभर छाया रहें।
- जानवरों को किसी बंद जगह में न रखें, क्योंकि गर्म मौसम में इन्हें जल्दी गर्मी लगने लगती है।
- ध्यान रखें कि आपके जानवर पूरी तरह साफ हों, उन्हें ताजा पीने का पानी दें, पानी को धूप में न रखें। दिन के समय उनके पानी में बर्फ के टुकड़े डालें।
- पीने के पानी के दो बाउल रखें ताकि एक में पानी खत्म होने पर दूसरे से वे पानी पी सकें।
- अपने पालतू जानवर का खाना धूप में न रखें।
- यदि आपके पास कुत्ता है तो उसे गर्मी में न टहलाएं। उसे सुबह और शाम को घुमाएं जब मौसम में ठंडा हो।
- कुत्ते को गर्म सतह (पटरी, तारकोल की सड़क, गर्म रेत) पर न चलाएं।
- किसी भी स्थिति में जानवर को वाहन में न छोड़ें।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग Toll Free No. - 112/1070 https://dmrelief.rajasthan.gov.in

धूप में जाने से बचें

निम्नलिखित सावधानियां बरतें

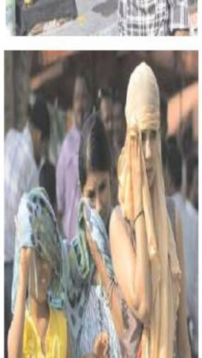

- स्थानीय मौसम संबंधी खबरों के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें, और समाचारपत्र पढ़ें
- पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं – भले ही प्यास न लगी हो
- ओआरएस (ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन), घर में बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का मांड) नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन कर तरोताज़ा रहें।
- हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें।
- अपना सिर ढककर रखें, कपड़े, हैट अथवा छतरी का उपयोग करें।
- जानवरों को छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
- बच्चों अथवा पालतू जानवरों को वाहनों में छोड़कर न जाएं – उन्हें लू लगने का खतरा हो सकता है।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग Toll Free No. - 112/1070 **https://dmrelief.rajasthan.gov.in**

क्या आप "लू" से बचाव के लिए तैयार हैं?

निम्नलिखित सावधानियां बरतें

- स्थानीय मौसम संबंधी खबरों के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें, और समाचारपत्र पढ़ें
- पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं भले ही प्यास न लगी हो
- ओआरएस (ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन), घर में बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का मांड) नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन कर तरोताज़ा रहें।
- हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें।
- अपना सिर ढककर रखें, कपड़े, हैट अथवा छतरी का उपयोग करें।
- जानवरों को छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
- बच्चों अथवा पालतू जानवरों को वाहनों में छोड़कर न जाएं – उन्हें लू लगने का खतरा हो सकता है।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग Toll Free No. - 112/1070 https://dmrelief.rajasthan.gov.in

सत्यमेव जयते

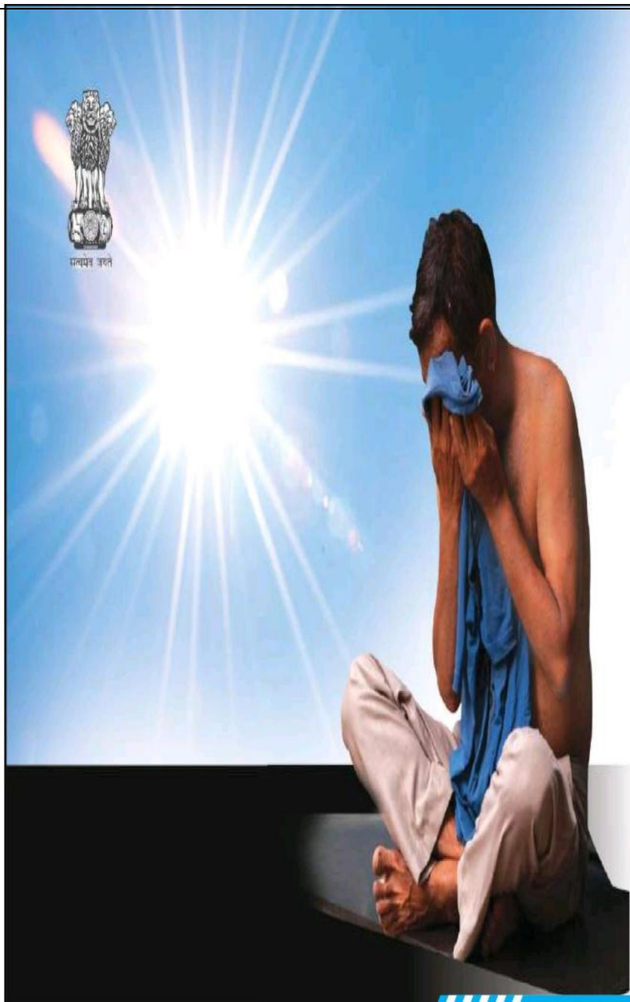

दोपहर में शारीरिक मेहनत वाले काम से बचें

निम्नलिखित सावधानियां बरतें

- स्थानीय मौसम संबंधी खबरों के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें, और समाचारपत्र पढ़ें
- पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं – भले ही प्यास न लगी हो
- ओआरएस (ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन), घर में बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का मांड) नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन कर तरोताज़ा रहें।
- हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें।
- अपना सिर ढककर रखें, कपड़े, हैट अथवा छतरी का उपयोग करें।
- जानवरों को छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
- बच्चों अथवा पालतू जानवरों को वाहनों में छोड़कर न जाएं – उन्हें लू लगने का खतरा हो सकता है।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग Toll Free No. - 112/1070 https://dmrelief.rajasthan.gov.in

धूप
में जाने से
बचें
निम्नलिखित सावधानियां बरतें
• स्थानीय मौसम संबंधी खबरों के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें, और समाचारपत्र पढ़ें
• पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं – भले ही प्यास न लगी हो
• ओआरएस (ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन), घर में बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का मांड) नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन कर तरोताज़ा रहें।
• हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें।
• अपना सिर ढककर रखें, कपड़े, हैट अथवा छतरी का उपयोग करें।
• जानवरों को छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
• बच्चों अथवा पालतू जानवरों को वाहनों में छोड़कर न जाएं – उन्हें लू लगने का खतरा हो सकता है।
ORS
ORS
HEAT WAVE
100
90
80
70
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
Toll Free No. - 112/1070
https://dmrelief.rajasthan.gov.in

जिले के महत्वपुर्ण टेलीफोन नम्बरों की सूची

Rajsamand District Administration Contact List						
S.No.	**Department**	**Name**	**Designation**	**Office**	**Home**	**Mobile**
1	DM/ADM	Mr. Balmukund Asawa, IAS	District Collector & District Magistrate	220536	220537	9413357125
2		Mr. Naresh Bunkar, RAS	Additional District Collector & Additional District Magistrate	220220	220448	9460581403
3	SP/ASP	Mr. Manish Tripathi, IPS	District Superintendent Of Police	220536	221564	9829023831
4		Mr. Mahendra Pareek, RPS	Additional District Superintendent Of Police	220294	220293	7737205348
5		Mr. Rajat Bishnoi, RPS	Additional District Superintendent Of Police (SIUCAW)	299069		7877317773
6	Zila Parishad	Mr. Brijmohan Bairwa, RAS	Chief Executive Officer	220568	220534	9413151222
7	Forest	Kasturi Prasant Sule	Deputy Conservator of Forest	220096	222415	8097257166
8	Nathdwara Temple Board	Mr.	Chief Executive Officer			
SDO						
1	Revenue	Mr. Brijesh Gupta	SDM, Rajsamand	220103		9649600154
2		Mrs. Raksha Pareek	SDM, Nathdwara	231855		9782221743
3		Mr. Govind Singh	SDM, Amet			9983581700
4		Ms. Archana Chaudhary	SDM, Devgarh	253061		9636937417
5		Neelam Lakhara	SDM, Kumbhalgarh			8302396537
6		Mr. Doodaram	SDM, Bhim	250229	Not Joined yet	9314963657
7		Vacant	SDM, Railmagra			
8		Vacant	Assistant Collector, Nathdwara			
Tehsildar						

S.No.	Department	Name	Designation	Office	Home	Mobile
1	Revenue	Mr.	Tehsildar, Amet 2908	250048		
2		Vacant	Tehsildar, Bhim 02951	250239		
3		Mr. Dharmendra Swami	Tehsildar, Devgarh 02904	252025		8949166817
4		Mr. Parbat Singh	Tehsildar, Kumbhalgarh 02954	242235		9414702233
5		Mr. Bhanupratap	Tehsildar, Nathdwara	233092		9314917229
6		Mr.	Tehsildar, Railmagra	267228		
7		Mr. Vijay Kumar Regar	Tehsildar, Rajsamand	272601		8104732116
8		Vacant	Tehsildar, Charbhuja 02954	248253		
9		Mr. Ashish Soni	Tehsildar, Khamnor 02953	285830		9001515998
10		Mr. Kaushalya Jangid	Tehsildar, Delwara			8562035252
11		Vacant	Tehsildar, Kunwariya	272601		

DLO

S.No.	Department	Name	Designation	Office	Home	Mobile
1	**Treasury**	Mr. Vishal Agarwal	District Treasury Officer	220205	223944	7041456023
2	**DIPR**	Mr. Pravesh Pardeshi	District Information & Public Relations Officer (PRO)	221210		9468628406
3		Mrs. Kalpana Yadav	Additional District Information & Public Relations Officer (APRO)			9773070852
4	**PHED**	Mr. Ramavtar	Superintendent Engineer	222536		9413974980
5		Mr. Lokesh Saini	Executive Engineer, Rajsamand	223136		7300298601
6		Mr. Rampal Jinagar	Executive Engineer, Nathdwara			9414736797
7		Mrs. Navneeta Mathur	Executive Engineer(Bagheri Naka)			9414167522
8	**AVVNL**	Mr. B. S. Sharma	Superintending Engineer	220542	221546	9414004075
9		Mr. Satyendra Pal	Executive Engineer,			9413391829

		Singh	Amet			
10		Mr. M.K. Raigar	Executive Engineer, Kankroli	220543		9413391828
11		Mr. S. N. Sanchora	Executive Engineer, Nathdwara			9413391830
12	**Mines & Geology**	Mr. Anil Khamesra	Superintending Engineer			9414097200
13		Mr. Jinesh Hummad	Mining Engineer I / D.M.F.T			9414856447
14		Mr. Lalit Bachhra	Mining Engineer II	220190		9829555562
15	**PWD**	Mr. Magniram Regar	Superintending Engineer	222400	223 536	9414740568
16		Mr. Hiralal Salvi	Executive Engineer, Rajsamand			9829315798
17		Mr. Bhanu Mathur	Executive Engineer, Nathdwara	230403		9414353408
18	**Nagar Parishad**	Mr. Brijesh Rai	Commissioner	220034		9414345300
19		Mr. Tarun Baheti	Executive Engineer			9610120623
20		Mr. Nandlal Suthar	Assistant Engineer			7014046778
21	**Transport**	Mr. Abhijeet Singh	District Transport Officer	220652		7395984288
22	**Industries**	Mr. Bhanu Pratap Singh Ranawat	General Manager	221382	221 380	8619557403
23		Mr. Radhakishan Gupta	Sr. Manager, RIICO			9414041445
24	**Medical & Health**	Dr. Hemant Bindal	CMHO	221716	221 718	9829487992
25		Dr. Narendra Yadav	Dy Cm&Ho (FW)			7014480599
26		Dr. Ramesh Rajak	PMO, Distt. Hospital, Rajsamand	220033	222 920	9414354096
27		Dr. Kailash Bhardwaj	PMO, Distt. Hospital, Nathdwara			7014907627
28		Dr. Suresh Meena	Rcho Rajsamand			9414681911
29	**ICDS**	Vacant	Deputy Director	221728		
31		Mr. Pramod Pareek	CDPO, Amet			6309432643
32	**Women Empowerment**	Mrs. Rashmi Kaushik	Assistant Director			9983987188
33	**Ayurveda**	Dr. Samandar Sharma	Deputy Director			9610992065
34	**Tourism**	Mrs. Shikha Saxena	Deputy Director, Udaipur			9413955015
35	**Education**	Mr.	CDEO			
36		Mr. Nutan Prakash Joshi	DEO(Secondary)	230622		7062724369
37		Mr. Rajendra Prasad Gaggad	DEO(Elementary)	231547		9950979225

38		Mr. Shiv Kumar Vyas	ADEO (Secondary)	222520		9001634989
39		Mr. Ghanshyam Gaur	ADPC, Samsa			9414292945
40	**Agriculture**	Mr. Bhupendra Singh Rathore	Joint Director (Extension)	230069	230 841	9414660448
41		Mr. Santosh Duriya	Assistant Director (Extension)			9414660447
42		Mr. Kalp Verma	Deputy Director (Horticulture)	230080		6375770081
43	**Statistics**	Mr. Kishan Singh	Deputy Director (Addl. Charge)	221306		9530161381
44	**Social Justice**	Mr. Deependra Singh	Deputy Director	221169		9929989888
45	**Employmen t**	Mr. Manish	District Employment Officer (Additional Charge)	222522		9413085029
46	**Watershed**	Mr. Anil Sanadhya	Superintendent Engineer	223414		8696312700
47	**DSO**	Mr. Vijay Singh	District Supply Officer	220633		8890932670
48	**Animal Husbandry**	Mr. Shakti Singh	Joint Director	220600		9460804141
49	**Excise**	Mr. Lokesh Joshi	District Excise Officer	221650		9530078868
50	**Water Resources**	Mr. Man Singh meena	Executive Engineer	230002	230 009	9718265066
51	**Cooperativ e**	Mr. Vinod Kothari	Deputy Registrar	220078		9001302150
52	**Labour**	Mr. Umesh Raika	Labour Welfare Officer	222522		9468546751
53	**Minority**	Mr. Hemlata Kankaria	Minority Welfare Officer	220260		6367720271
54	**CPO**	Dr. Sanjay Sharma	Chief Planning Officer	221381		8741910009
		Mr. Amit	UDC			9664161522
55	**BSNL**	Mr. Neeraj Mathur	Deputy Regional Engineer	221134		9414001448
56	**Scout**	Mr. Abhilasha Mishra	C.O.			8982945980
57	**RSRTC**	Mr. Mahesh Upadhyay	Depot Manager, Roadways	222411		9549653523
58	**Rajivika**	Mr.	DPM Rajivika & ACEO Zila Parishad	220632		9929815174
59	**LDM**	Mr. Premshankar Jeenagar	District Lead Bank Officer	220396		
60	**SGST**	Mr. Naina Ram Prajapati	Deputy Commissioner	220194		9549845662
61	**DOITC**	Mr. Rajendra Nayak	Joint Director	224750		9829317413
		Mr. Manoj Meena	Dy. Director			8058723474
62	**Sports**	Mr. Dharamdev	District Sports Officer			9414156250

		Singh				
63	**Nabard**	Mr. Ashish Jain	DDM	222725		7851866562
64	**NIC**	Mr. Milind Sharma	DIO, NIC	221838		9414062188
65	**Pollution**	Mr. Ashok Jelia	Regional Officer			7891900099
66	**Ground Water**	Mr. Sandeep Jain	Ground Water Scientist			9252738105
67	**Dairy**	Mr. Devilal ji	MD, Dairy			9782886782
68	**Nehru Yuva Kendra**	Mr. Shubham Purbia	Distt. Youth Officer (Addl. Charge from Udaipur)			8559845908
69		Mr.	Program Coordinator	221533		
70	**R.B. & P.D**	Mr.	Deputy Director	220594		
71	**RSLDC**	Mr. Arun	District Skill Consultant			6377119596
72	**Pollution**	Mr. Ashok Jelia	RO			7891900099

JUDICIARY

S.No	HEAD QUARTER	NAME OF JUDICIAL OFFICER	S.T.D CODE	OFFICE	RESIDENCE	MOBILE
1	RAJSAMAND	SHRI RAGHAVENDRA KACHAWAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, RAJSAMAND	02952	220165	220164	80033-95879 98280-20728
2		SMT. PURNIMA GAUR JUDGE, POCSO COURT, RAJSAMAND	02952	223165	224333	94147-70435 81077-95009
3		SHRI ASHWANI KUMAR YADAV (Add Charge) JUDGE,FAMILY COURT, RAJSAMAND	02952	221165	223164	94139-08689
4		SHRI ASHWANI KUMAR YADAV JUDGE, M.A.C.T. RAJSAMAND	02952	224442	224588	94139-08689
5		SMT. ABHILASHA SHARMA SPECIAL JUDGE SC/ST COURT, RAJSAMAND	02952	224165	--	94615-32271
6		SHRI SUNIL KUMAR OJHA ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE,	02952	225065	222424	94608-62629

		RAJSAMAND				
7		SHRI SANTOSH AGRAWAL SECRETARY, DISTRICT LEGAL SERVICE AUTHORITY, RAJSAMAND	02952	221000	297 441	94143-59012 86194-53883
8		SMT. MAMTA SAINI SR. CIVIL JUDGE & CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, RAJSAMAND	02952	220576	220 575	80033-95880 96805-52797
9		SMT. MINAKSHI AMIT CHOUDHARY SR. CIVIL JUDGE & ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE, RAJSAMAND	02952	220488	220 588	97607-88405
10		SMT. MINAKSHI AMIT CHOUDHARY (Add Charge) PRINCIPAL MAGISTRATE JJB COURT, RAJSAMAND	02952	294686	294 389	97607-88405
11		SMT SAAKSHI SHARMA CIVIL JUDGE & JUDICIAL MAGISTRATE, RAJSAMAND	02952	224231	224 232	90799-40742
12		SMT SAAKSHI SHARMA (Add Charge) SPL.JUDICIAL MAGISTRATE(NI ACT CASES), RAJSAMAND	02952	221565	---	90799-40742

महत्वपूर्ण विभागीय कार्यालय के पते एवं दूरभाष नम्बर

क्र.	नाम व पता	कार्यालय	निवास	फैक्स
1	मुख्य अभियन्ता जल संसाधन राज. जयपुर	0141-2227042	0141-2357911	
2	मुख्य अभियन्ता आईडी. आर. जयपुर	0141-2702207	-	-
3	उपनिदेशक जल विज्ञान जल संसाधन राज. जयपुर	0141-2702480	0141-3780316	
4	केन्द्रिय बाढ नियन्त्रण कक्ष जल संसाधन राज. जयपुर	0141-2700452		
	Email Address	**Floodcell.wr @gmail.com**		
	Telegram	**Hydrologist Jaipur**		
5	मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भाग बांसवाडा	-	-	9829279692
6	अति. मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भाग उदयपुर	0294 -2414794	0294 -2415525	94144-06897
7	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत उदयपुर	0294 -2416168	0294 -2560001	98294-72444
8	सम्भागीय बाढ नियन्त्रण कक्ष उदयपुर	0294 -2415813	0294 -2583500	
9	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड उदयपुर	0294 -2415813	0294 -2583500	94610-46506
10	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड राजसमन्द	02952-230002		97182-65066
11	बाढ़ नियन्त्रण कक्ष जल संसाधन खण्ड राजसमन्द	02952-230002	Email:-eewrd.rajsamand@gmail.com	
12	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत भीलवाडा	01482-226540	01482-251904	94145-14593
13	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड। भीलवाडा	01482-226526	01482-232382	73405-78701
14	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड ।। भीलवाडा	01482-232720	01482-232721	98282-86698
15	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड चित्तोड़गढ	01472-241035	01472-241036	94141-66398
16	सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड राजसमन्द	2953-230002		97993-38783
17	सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड नाथद्वारा	02953-234619		98297-20177
18	सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड आमेट	02908-251120		90796-26066
19	सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड देवगढ	02904-253134		98879-35393
20	सहायक अभियन्ता एंव त0सहा0 वास्ते अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड राजसमन्द	02952-230002		98294-63818

अधीक्षण अभियन्ता , अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ताओ की सूची

क्र. स.	कार्यालय का नाम	मुख्यालय	कार्य क्षैत्र	प्रभारी अधिकारी का नाम व दूरभाष कमांक
1	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर एवं राजसमन्द जिला तहसील धरियावद के अतिरिक्त	श्री मनोज जैन 0294–2416168 (का.) 0294–2560001 (नि.) Mob. No 98294-72444
2	अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड राजसमन्द	राजसमन्द	सम्पूर्ण क्षेत्र राजसमन्द जिला।	श्री मान सिंह मीना (02952) 230002 (का.) Mob. No. 97182-65066
3	सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड राजसमन्द	राजसमन्द	राजसमन्द तहसील के तालाब	यशोदा कुमारी नागर (02952) 230002 (का.) Mob. No. 97993-38783
4	सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड नाथद्वारा ।	नाथद्वारा	नाथद्वारा एवं रेलमगरा तहसील के तालाब	श्री पवन डुकिया 02953–234619 (का.,) Mob. No. 98297-20177
5	सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड आमेट	आमेट	आमेट–कुम्भलगढ तहसील के तालाब	श्री भुपेन्द्र सिंह चुण्डावत 02908–251120 (का.) Mob. No. 90796-26066
6	सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड देवगढ	देवगढ़	देवगढ एवंभीमतहसील के तालाब	श्री हिमांशु व्यास Mob. No. 98879-35393
7	सहायक अभियन्ता एंव त0सहा0 वास्ते अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड राजसमन्द	राजसमन्द	सम्पूर्ण क्षेत्र राजसमन्दजिला।	श्री लक्ष्मी लाल सालवी Mob. No. 98294-63818

➢ ताप (लू)

तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहाँ की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39.70 से. और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24.3^0 से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हें जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। किसी–किसी दिन अधिकतम तापमान 44^0 से या 45^0 से तक पहुंच जाता है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारो तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आतंरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करे, क्या ना करे की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए।

- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

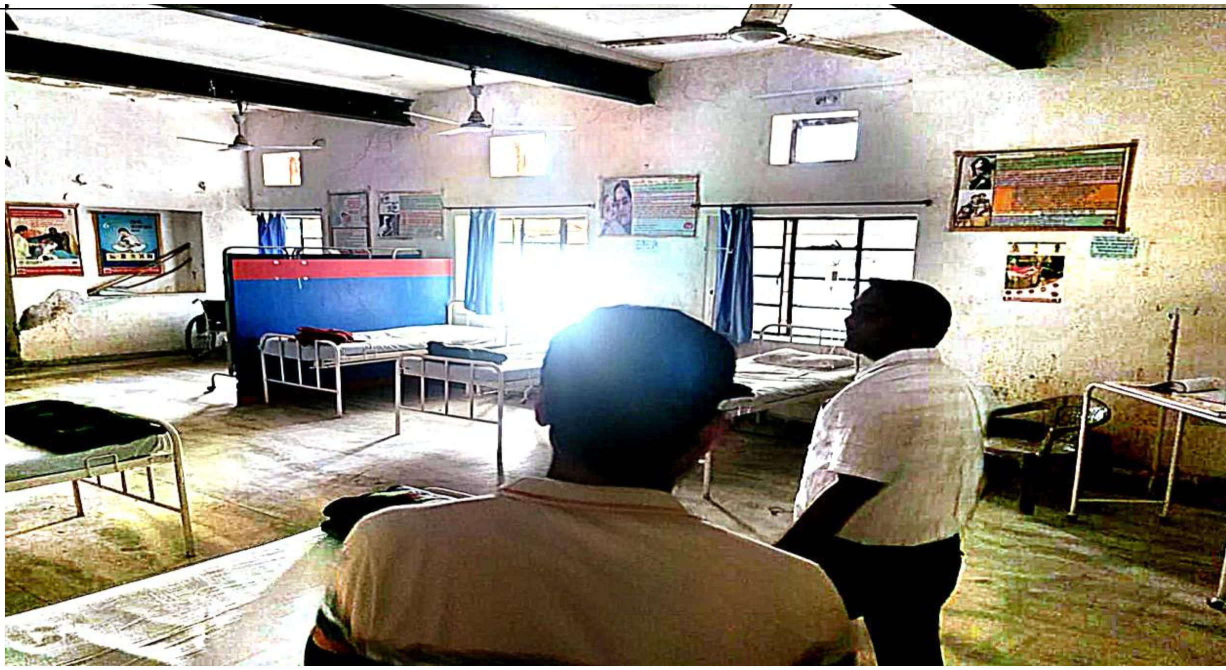

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र-शिशोदा कलां
ब्लॉक-खमनोर जिला-राजसमन्द
श्रीमती लेहरीबाई
धाकड राजकीय

नगर परिषद् राजसमन्द
शीतल पेयजल एवं छाया

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक प14( )आ.प्र./लू-तापघात/2025/111 दिनांक : 20/3/25

प्रति-

01 जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द।
02 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसन्द।
03 प्रभारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा विभाग/भू अभिलेख राजसमंद।
04. मुख्य निष्पादन अधिकारी, मंदिर मण्डल नाथद्वारा।
05. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला राजसमंद।
06. सहायक कमाण्डेड, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अजमेर।
07. कमाण्डेड, राज्य आपदा मोचन बल कम्पनी बटालियन संभाग उदयपुर।
08. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वृत राजसमन्द।
09. अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण, निगम लि० राजसमन्द।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजसमन्द।
11. कार्यपालक इंजिनियर, लोक निर्माण विभाग, राजसमन्द/आमेट/भीम/नाथद्वारा।
12. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजसमंद।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा) राजसमन्द।
14. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमन्द।
15. उप निदेशक, कृषि (विस्तार) राजसमन्द।
16. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजसमन्द।
17. जिला कोषाधिकारी राजसमन्द।
18. जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द।
19. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।
20. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द।
21. जिला आयुर्वेद अधिकारी, राजसमन्द ।
22. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा० अभि० विभाग, राजसमन्द।
23. कार्यपालक इंजिनियर, लो०नि०वि० खण्ड रा०रा०मार्ग राजसमन्द।
24. मुख्य आयोजना अधिकारी राजसमन्द।
25. अधिशाषी अभियन्ता, अजमेर विधुत वितरण निगम लि०, राजसमन्द/आमेट।
26. जिला परिवहन अधिकारी, राजसमन्द।
27. जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र राजसमंद।
28. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उदयपुर/भीलवाडा।
29. परियोजना निदेशक(अधी.अभि.) सा.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड जोधपुर।
30. उपमण्डलीय अधिकारी, दूरसंचार (शहरी/ग्रामीण) राजसमन्द/नाथद्वारा/ देवगढ।
31. प्रभारी अधिकारी, वायरलेस सेट सीटी कन्ट्रोल, राजसमन्द।
32. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरपरिषद्/नगरपालिका, राजसमन्द/नाथद्वारा /देवगढ/आमेट।
33. सहायक अधीक्षक, भारतीय डाक एवं तार विभाग कांकरोली(राजसमंद)।
34. तहसीलदार समस्त जिला राजसमन्द।
35. विकास अधिकारी समस्त जिला राजसमंद।
36. उपतहसीलदार गिलुण्ड/दिवेर।
37. अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण राजसमंद।

विषयः- Advisory for Heat wave 2025 के क्रम में।
संदर्भ- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त अर्द्ध शासकिय पत्र दिनांक 13.03.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि श्रीमान् संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार से राज्य में गत वर्षो से तापमान में निरन्तर वृद्धि होने के कारण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ग्रीष्म मौसम के लिए तापमान और वर्षा पर मार्च से मई 2025 के दौरान मौसमी आउटलुक जारी किया है।

राज्य में वर्ष 2025 में हीट वेव की स्थिति के प्रभावी शमन और प्रबंधन के लिए लू एवं ताप के बचाव से आमजन के राहत हेतु **"गर्मी/ताप की लहर (क्या करे और क्या ना करे)"** एडवाईजरी जारी की गई है।

अतः उक्त एडवाईजरी हीट वेव–2025 **"गर्मी/ताप की लहर"** का आमजन में प्रचार– प्रसार करना एवं क्रियान्वयन हेतु लागु करना सुनिश्चित करावें ताकि जिले में लू एवं ताप से जन हानि ना हो।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

क्रमांक प.14( )आ.प्र./लू–तापघात/2024/ दिनांक –

प्रतिलिपि –सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
श्रीमान् निदेशक(जन.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, राजस्थान जयपुर।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

Document certified by Bal Mukund Asawa
<BALMUKUND.ASAWA@GMAIL.COM>

Digitally Signed by Bal Mukund Asawa
Designation : Collector & District Magistrate
Date :20-03-2025 10:57:43

14231385

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांकः प.14( )आ.प्र./लू–तापघात/2025/123-24 दिनांक : 24/3/25

प्रतिः–

1. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला राजसमंद।
2. तहसीलदार समस्त जिला राजसमंद।

विषयः– लू–तापघात, को. राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किये जाने के क्रम में ।

प्रसंगः– संयुक्त शासन सचिव आ0 प्र0सहा0 एवं ना0सु0 विभाग के पत्रांक राजकांज 14265310 दिनांक 20.03.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा लू–तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसुचित किया गया है। लू–तापघात से मृत्यु होने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानक सचालन प्रक्रिया (SOP) एवं दिशा निर्देशों की पालना कर एसडीआरआरएफ नॉर्म्स के अनुसार सहायता हेतु प्रकरण डीएमआईएस पोर्टल पर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

क्रमांकः प.14( )आ.प्र./लू–तापघात/2025/ दिनांक –

प्रतिलिपिः –सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव,आ0प्र0सहा0एवं ना0सु0विभाग राजस्थान जयपुर।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by N...sh Bunkar
Designation :Addit...al Collector
And Additiona... ...ct Magistrate
Date: 2025.03.2... ...5:57:35 IST
Reason: Approved

345900

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांकः प.14( )आ.प्र./लू–तापघात/2025/132–33 दिनांक : 01.04.2025

प्रेषितः–
श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान,जयपुर।

विषयः–राज्य में हीटवेव प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी नामित किये जाने हेतु।
प्रसंगः– श्रीमान के पत्रांक राजकाज रेफरेन्स 14444916 दिनांक 28.03.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,नई दिल्ली द्वारा हीट वेव 2025 के लिये जिला स्तर से (एडीएम स्तरीय) नोडल अधिकारी की निर्धारित प्रारूप में सूचना चाही गयी है। अतः जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर निर्धारीत प्रारूप में सूचना निम्नानुसार प्रेषित है–

क्र0 स0	अधिकारी का नाम	पद नाम	मो0नं0	टेलीफोन(कार्यालय)	ई–मेल
1	नरेश बुनकर	अति0जिला कलक्टर	9509584753	02952–220220	dm-raj-rj@nic.in

जिला कलक्टर
राजसमन्द

क्रमांकः प.14( )आ.प्र./लू–तापघात/2025/132–33 दिनांक – 01.04.2025

प्रतिलिपिः –सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. श्रीमान संभागीय आयुक्त,उदयपुर ।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

Validity unknownSignature valid
Digitally signed by N[illegible]sh Bunkar
Designation : Addi[illegible]al Collector
And Additiona[illegible]ct Magistrate
Date: 2025.04.0[illegible]3:20:06 IST
Reason: Approved

Raj Ref No.: 14505228

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांकः प.14( )/सहायता/2025/142 दिनांकः 7/4/25

प्रेषिति :-

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग,राजसमन्द

विषय :-दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी होने के कारण भारवाहक पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रखने के संबंध में ।

प्रसंग :-निदेशक पशुपालन विभाग एवं सदस्य सचिव, रा.जी.ज.क. बोर्ड, राज. के पत्रांक 31-63 दिनांक 03.04.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि जलवायु परिवर्तन के कारण राजस्थान राज्य में ग्रीष्मकाल आरम्भ होने के साथ तापमान में वृद्धि होना प्रारम्भ हो गया है, जिसके कारण भारवाहक पशुओं यथा घोडो, गधों, खच्चरो, बैलों और भैंसों इत्यादि को लम्बे समय तक धूप में काम में लेने से पड़ने वाले दुष्प्रभाव के कारण उन्हें अनावश्यक दर्द, हीट स्ट्रोक और मौत होने की संभावना रहती है।

अतः दिशा निदेशो की प्रति संलग्न कर लेख है कि ग्रीष्मकाल के दौरान दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी होने के कारण भारवाहक पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रखने तथा ऐसे भारवाहक तथा कृषि प्रायोजनार्थ काम में आने वाले पशुओं के लिए पानी, भोजन व छाया की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के संबंध में सभी संबंधितों को निर्देशित करावें एवं व्यापक जनजागरुकता पैदा करने के लिये प्रचार-प्रसार करावें ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा.)
राजसमन्द

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by N[illegible]sh Bunkar
Designation :[illegible]al Collector
And Additiona[illegible]ct Magistrate
Date: 2025.04.0[illegible]7:42:52 IST
Reason: Approved

Raj Ref No.: 14633192

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक प.14 ( )/सहा./विविध/2025/145-48 दिनांक : 9/4/25

प्रेषिति :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमंद।
2. आयुक्त, नगर परिषद राजसमंद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजसमंद
4. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजसमंद।

विषय :-गौशालाओं में गौवंश के लिए पानी की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :-श्रीमान निदेशक निदेशालय गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ.वी. 40/निगो/मूल्य सवर्धन/एडवाईजरी/2024/21846 दिनांक 02.04.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि ग्रीष्म ऋतु एवं लू-प्रकोप के मद्देनजर जिले में संचालित गौशालाओं में गोवंश हेतु टैंकर या अन्य उपलब्ध साधनों से स्वच्छ जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करावें। सभी गौशाला संचालक/व्यवस्थापक, निधि नियम-2016 संशोधित नियम-2021 के अन्तर्गत प्रावधित प्रक्रियानुसार पानी के बिलों का पुनर्भरण चारे एवं पशुआहार के बिलों के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम चरण की सहायता राशि वितरण के समय गोपालन वेब एप्लीकेशन पोर्टल पर अपलोड करावे जिससे कि गोशाला द्वारा वहन किये गए पानी,चारा एवं पशु आहार के बिलों का भुगतान नियमानुसार करवाया जा सकें।

अतः जिन गौशालाओं में पानी की आपूर्ति आवश्यक हो, वहां पर जल प्रदाता एजेंसी के सहयोग से पानी की आपूर्ति अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित करें तथा इस विषय में तैयार कार्य-योजना (एक्शन प्लान) से अधोहस्ताक्षरकर्ता को तीन दिन में सूचित करावें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

Document certified by Bal Mukund Asawa
<BALMUKUND.ASAWA@GMAIL.COM>

Digitally Signed by Bal Mukund Asawa
Designation : Collector & District Magistrate
Date :08-04-2025 03:23:16

RajKaj Ref No.: 14661173

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांकः प.14( )/सहायता/लू–ताप/2025/ 154-55

दिनांकः 16/4/25

प्रतिलिपि :–
1. आयुक्त नगरपरिषद राजसमंद
2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, भीम/नाथद्वारा /देवगढ/आमेट।

विषयः– ग्रीष्म ऋतु में योजनान्तर्गत श्रमिकों के कार्य समय में परिवर्तन तथा लू एवं ताप से बचाव हेतु व्यवस्था बाबत् ।

प्रसंगः– निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत शासन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक 4516–556 दिनांक 07.04.2025 केक्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान वृद्धि के दृष्टिगत योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों के कार्य समयावधी निर्धारण स्थानीय परिस्थितियो अनुसार जिला स्तर से किया जाना है। इसमे आवश्यकतानुसार विश्राम काल रहित अवधि प्रात 600 बजे से दोपहर 2.00 बजे निर्धारित की जाने हेतु निर्देश दिए गए है

अतः दिशा निदेशो की प्रति संलग्न कर लेख है कि ग्रीष्म ऋतु में योजनान्तर्गत श्रमिकों के कार्य समय में परिवर्तन तथा लू एवं ताप से बचाने हेतु उक्त दिशा निर्देशो की पालना करवाना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा.)
राजसमन्द

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ba ukund Asawa
Designation : Colle & District
Magistrate
Date: 2025.04.1 :37:31 IST
Reason: Approved

: 14707396

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

क्रमांक प.14( )/सहा./2025/174-76 दिनांक: 17/4/25

प्रेषिति :—
1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजसमंद।
2. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक) राजरामंद।
3. नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद।

विषय :—भीषण गर्मी लू—तापघात प्रभाव को देखते हुए, बचाव तथा तैयारियों/अग्रिम व्यवस्थाओ बाबत।

प्रसंग :—निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ट) समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के पत्रांक राजकांज 14710444 दिनांक 09.04.2025 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम मेंलेख है कि लू एवं तापघात के कारण मानव एवं जन्तुओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी प्रदान कर उक्त सम्बन्ध में बरती जाने वाली विशेष सावधानियों के सम्बन्ध में समय—समय पर राज्य के समस्त विभागीय कार्यालयों एवं विद्यालयों बाबत विस्तृत दिशा—निर्देश जारी किये गये हैं।

इसी क्रम में वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सूर्य के तीव्र और प्रचण्ड प्रकाश के कारण उत्पन्न लू और तापघात की समस्या और इससे स्कूली छात्र—छात्राओं को सुरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा समस्त विभागीय अधीनस्थों हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतः उक्त निर्देशों की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त दिशा निदेशों की पालना अपने स्तर पर किये जाना सुनिश्चित करवाये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.सहा एवं ना.सु.)
राजसमन्द

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ प्रेषित है।

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by N[illegible]esh Bunkar
Designation [illegible] Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.[illegible] 16:40:55 IST
Reason: Approved

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.सहा एवं ना.सु.)
राजसमन्द

:14788144

कलक्टर

...य :– हीट वेव संबंधित विभागीय सूचना के कम में।
...र्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक 139 दिनांक 02.04.2025 के कम में।

...परोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जन स्वा. अभि. विभाग राजसमन्द द्वारा हीट वेव संबंधित एक्शन ...नुसार है :–

...समन्द में समस्त ग्रामीण व शहरी क्षैत्रो में ग्रीष्मकाल 2025 में पेयजल अभावग्रस्त क्षैत्रो हेतु कुल 638 ...ो हेतु राशि रू. 248.65 लाख तथा शहरी क्षैत्र हेतु राशि रू. 35.46 लाख के जल परिवहन कार्य के ...त्र स्वीकृत है। आवश्यकतानुसार पेयजल अभावग्रस्त क्षैत्रो में टैंकरो द्वारा जल परिवहन करवाया जाना ...स्तावित है।

...ला राजसमन्द में समर कन्टिजेन्सी प्लान 2025 के तहत ग्रीष्मकाल हेतु शहरी क्षैत्रों हेतु राशि रू.77.00 ...ख तथा ग्रामीण 39 क्षैत्रों हेतु राशि रू. 248.91 लाख के कार्य करवाया जाना एवं राशि एक करोड ...के हेतु प्रस्ताव में आगामी ग्रीष्म ऋतु हेतु कन्टिजेन्सी प्लान में पेयजल अभावग्रस्त क्षैत्रो हेतु लिये गये ...प सेट, पाईप लाईन आदि के कार्य करवाऐं जाऐगें।

...यजल से संबंधित शिकायतों को प्राप्त कर निस्तारण हेतु 02952–223136 कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा।

अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
वृत राजसमन्द

राजस्थान–सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमंद

क्रमांक–मु.चि.अ.( )/हिटवेव/2025/1345 दिनांक 19/03/25

अति0 आवश्यक

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला राजसमन्द।
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा जिला राजसमन्द।

विषय :– हिटवेव की एडवाईजरी भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषान्तर्गत लेख है कि गर्मी के मौसम में हिटवेव के मध्यनजर निदेशालय, जयपुर से एडवाईजरी संलग्न कर मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको भिजवाई जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(हेमन्त कुमार बिन्दल)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजसमन्द

प्रतिलिपि :–
1. श्रीमान् निदेशक (जन0स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अति. निदेशक (चि.प्र.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
5. रक्षित पत्रावली।

(हेमन्त कुमार बिन्दल)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजसमन्द

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द

लू तापघात हेतु कार्ययोजना माहवार

जिला स्तर पर:	
• कन्ट्रोल रूम की स्थापना	• नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। जिसका दूरभाष 02952-221710 है।
• आरआरटी का गठन	• जिले मे 1 डीआरआरटी 1 जिला चिकित्सालय, 6 उप जिला चिकित्सालय, 8 खण्ड स्तर एवं 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 49 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आरआरटी टीमो को गठन कर दिया गया है। (संलग्न है।)
• आईडीएसपी सैल का सुदृढीकरण कार्यरत है।	• समेकित रोग नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत सैल मे युपीएम मोबाईल नम्बर 9413762682 ऐपिडोमोलोजिस्ट, मोबाईल न. 8118864946, कार्यरत है।
• सर्वे दल का गठन एवं समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओआरएस जिंक टेबलेट की उपलब्धताा	• सर्वे दलो का गठन कर दिया गया है। • प्रभारी जिला औषधी भण्डार के माध्यम से समस्त चिकित्सा केन्द्रो पर आगामी तीन माह हेतु ओआरएस जिंक टेबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जा रही है।
• सेन्सिटाईजेशन	• समस्त चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ का आमुखीकरण किया जाना प्रस्तावित है।
• डेडिकेटेड बैड, वार्ड एवं ओआरएस कॉर्नर की व्यवस्था करना	• समस्त चिकित्सा केन्द्रों पर क्षमता एवं आवश्यकतानुसार डेडिकेटेड बैड एवं हिट स्टोक ग्रहित मरीजों के लिये वार्ड की व्यवस्था तथा चिकित्सा संस्थानों पर ओआरएस कॉर्नर स्थापित करवाई जा रही है।
• स्कूल कॉलेज, हॉस्टल, मॉल, कार्यालय, निर्माणाधीन क्षेत्र इत्यादि की सूचना का संकलन • नर्सिंग कॉलेजों की सूचना का संकलन	• जिले में 1 निजी मेडिकल कॉलेज, 1 राजकीय ANM नर्सिंग एंव 2 नर्सिंग प्राईवेट कालेज संचालित है। • समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करते हुये हिटवेव सम्बन्धित बचाव एवं जागरूकता हेतु प्रशिक्षण दिया जाकर आवश्यक सहयोग लिया जावेगा।
• जिला स्तरीय बैठक / खण्ड स्तर पर बैठक / सैक्टर स्तर बैठक	• सभी विभाग प्रभारियों की बैठक तथा विभाग की मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है।
• आउट रीच कैम्प व एमएमवी कैम्प यूनिट की कार्य योजना	• आगामी माह मे आवश्यकतानुसार हाईरिस्क क्षैत्रों मे आउटरीच एवं एमएमवी के कैम्प लगाये जाकर कार्य किया जावेगा।
• उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान	• संकलन कार्य जारी है।
• स्थानीय स्वयं सेवक, एनजीओ, एनसीसी, स्काउट गाइड व अन्य की उपलब्धता	• जिले मे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता मे निर्धारित जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना मे सहयोग लिया जा रहा है।
• आवश्यक संसाधनों का मांगपत्र राज्य को प्रेषित करना। प्रेषित कर दिया गया है।	• निर्देशानुसार मांग पत्र राज्य स्तर को आवश्यकतानुसार भिजवा दिया जा रहा है।
• पानी के नमूनों की नियमित रूप से जांच	• प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से नियमित प्रति सप्ताह पीने के पानी के नमूने जन. स्वास्थ्य एंव अभियान्त्रिकी विभाग व जिला लैब मे नमुनो की जॉच हेतु हो रही है।

• जिले के सभी संस्थान पर आवश्यक दवाईयां, जांच किट व अन्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	• समस्त चिकित्सा अधिकारीयो को निर्देशित किया गया है।
• एएनएम व आशा अपने-अपने कार्यक्षेत्र मे प्रतिदिन फीवर सर्वे, ब्लड स्लाईड कलेक्शन, मलेरिया पॉजीटिव रोगियों का पूर्ण उपचार एन्टी एडल्ट, एन्टी लार्वल, सोर्स रिडक्शन इत्यादि गतिविधियां सम्पादित की जायेगी।	• फीवर सर्वे, ब्लड स्लाईड कलेक्शन, मलेरिया पॉजीटिव रोगियों का पूर्ण उपचार एन्टी एडल्ट, एन्टी लार्वल, सोर्स रिडक्शन इत्यादि गतिविधियां सम्पादित की जा रही है।
• सर्वे कार्य हेतु आवश्यक लाजिस्टीक की उपलब्धता	• सर्वे प्रपत्र, टेमी फोस, पायरेथियम, कूढ आयॅल, दवाए व अन्य आवश्यक लाजिस्टीक उपलब्ध है।
• डेडिकेटेड बैड, वार्ड एवं ओआरएस कॉर्नर की व्यवस्था करना	• समस्त चिकित्सा केन्द्रों पर क्षमता एवं आवश्यकतानुसार डेडिकेटेड बैड एवं हिट स्टोक ग्रसित मरीजों के लिये वार्ड की व्यवस्था तथा चिकित्सा संस्थानों पर ओआरएस कॉर्नर स्थापित करवाई जा रही है।

प्रचार प्रसार

1. लू तापघात हेतु पेम्पलेट वितरण/होर्डिंग्स का प्रिंटिग करवाया जावेगा।
2. नगर परिषद राजसमन्द एवं नगर पालिका नाथद्वारा/आमेट/देवगढ़ मे आमजन को लू से बचने हेतु अपील प्रसारित करवाई जा रही है।
3. चिकित्सा संस्थानो पर जिला चिकित्सालय मे 20 बैड्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 02 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 1 बेड आरक्षित कर दिये गये है।
4. चिकित्सा संस्थानो के वार्डो में कियाशील कूलर एंव पंखो की माकूल व्यवस्था हेतु निर्देश प्रदान कर दिये गये है।
5. रोगियो को ठण्डे पीने के पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। वाटर कुलर अनिवार्यतः कियाशिल हो।
6. चिकित्सा संस्थान पर अनिवार्यतः ओआरएस/ड्रिप सेट/जीएनएस/सीप्रो, मेट्रो, डायसायक्लोमीन, मेट्रोक्लोप्रामाईड, रेनिटिडीन, ओनडेस्टोरोन, आपमीप्राजोल, आरएल, जीएनएस, जीडीडब्ल्यु, ओआरएस, आईवीस्टेन, केथेटोड, प्रिकिंग निडिल, ग्लास स्लाईड एंव अन्य आवश्यक दवाओ की उपलब्धता सुनिश्चिता हेतु निर्देश प्रदान किये गये।
7. सर्वे के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।
8. लू-तापघात के सम्बन्ध मे जिलास्तर पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता मे प्रतिमाह बैठक किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजसमन्द

राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक,पशुपालन विभाग, राजसमन्द

क्रमांक 2645 दिनांक :- 8/4/2025

जिला कलक्टर महोदय,
राजसमन्द।

विषय :- हीट वेव एक्शन प्लान बाबत्।
प्रसंग :- आपका पत्रांक 139 दिनांक 02.04.2025

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत पशुपालन विभाग द्वारा पशुओ में अत्यधिक गर्मी के चलते हीट वेव एक्शन प्लान तैयार किया गया है, :–

कार्यालय के पत्र क्रमांक 2080 दिनांक 23.05.2024 द्वारा जिले के समस्त संस्था प्रभारियो को लू से पशु एवं पक्षियो का संरक्षण करने हेतु पाबन्द कर दिया गया है।

जिले के समस्त विभागीय कार्मिको को निम्नानुसार निर्देशित कर दिया गया है तथा जिला स्तर हीट वेव एक्शन प्लान कमेटी का गठन कर लिया गया है।

प्रत्येक नोडल क्षैत्र में टीम का गठन

- पशुओ को प्रातः 09:00 से सांय 06:00 बजे तक छायादार स्थान अथवा पशु बाड़े मे ही रखने हेतु पशुपालको को प्रेरित करना।
- पशु बाड़ो में हवा का पर्याप्त प्रवाह तथा विचरण करने हेतु पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हो।
- अत्यधिक गर्मी की स्थिति में विशेषकर शंकर प्रजाति के एवं उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले पशुओ के बाड़ो के दरवाजो एवं खिड़कियो पर पाल/टाटी लगाकर दोपहर के समय पानी का छिड़काव कराने हेतु परामर्श देना।
- पशुओ को दिन में कम से कम 4 बार ठंडा शुद्व एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पशुपालको को प्रेरित करना।
- सुखे चारे के साथ–साथ कुछ मात्रा में हरा चारा देने हेतु पशुपालको को बताना।
- भारवाहक पशुओ को यथा संभव प्रातः एवं सांयकाल में काम में लिये जाने हेतु पशुपालको को जागृत करना।
- पशु बीमारी के समय तुरन्त नजदिकी पशुचिकित्सालय से उपचार उपलब्ध कराना।

अत्यधिक गर्मी की स्थिति में आपातकालिन चिकित्सा सुविधा हेतु 1962 मोबाईल वेटरीनरी यूनिट के माध्यम से पशुचिकित्सा उपलब्ध कराना।

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग, राजसमंद

Scanned with OKEN Scanner

ा विवरण –

न्ट्रोल रूम की स्थापना :– जिला मुख्यालय एवं सभी खण्ड मुख्यालयों पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर ली गयी है तथा सभी खण्ड में कन्ट्रोल रूम संचालित है।

आरआरटी का गठन :– जिला मुख्यालय, खण्ड मुख्यालय, सीएचसी, पीएचसी पर रेपिड रिस्पोन्स टीम का गठन कर लिया गया है। जिला अस्पताल एवं उपजिला अस्पताल पर बेड लू–तापघात के मरीजों के लिए आरक्षित है। सभी वार्डो में कुलर की व्यवस्था है।

दवाइयों की उपलब्धता :– सभी चिकित्सा संस्थानों पर ओआरएस, आईवी फ्ल्युड सहित आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है। इसी क्रम में 108 एम्बूलेंस, बेस एम्बुलेंस तथा एमएमयू एवं एमएमवी को ऑनरोड रखे जाने के निर्देश प्रदान कर दिये गये है।

मासिक बैठक :– समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को मार्च माह में होने वाली मासिक बैठको में लू–तापघात को मुख्य एजेन्डा बनाकर इस पर विस्तार से चर्चा करे एवं सभी चिकित्सा अधिकारी, प्रसाविका, एलएचवी, आशाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा दैनिक रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिये जावेगे।

अंतरविभागीय समन्वय :– अन्य विभागो जैसे कि शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, आयुर्वेद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जलदाय विभाग आदि विभागों के साथ लू–तापघात की रोकथाम हेतु बैठक का आयोजन किया जावेगा।

प्रचार–प्रसार :– लू–तापघात से बचने हेतु जिला मुख्यालय पर आईईसी सामग्री उपलब्ध है जिन्हे खण्ड में भिजवाया जा रहा है एवं अतिशीघ्र वितरण करने के निर्देश प्रदान कर दिये गये है। इस हेतु स्थानीय मीडिया का भी सहयोग लिया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी से इस बाबत् निवेदन किया गया है कि समय समय पर बुलेटिन जारी किया जाये। दैनिक समाचार पत्रों में भी इस बाबत् समय समय पर प्रसनोट जारी किये जायेगें।

पीआरआई एवं स्थानीय प्रशासन :– ग्रामसेवक, पटवारी, आशा सहयोगिनी, चौकीदार, आंगनवाडी कार्यकर्ता को जानकारी प्रदान करने हेतु पीआरआई अधिकारियों से निवेदन किया जावेगा।

- लू–तापघात हेतु जिला स्तर पर होने वाली बैठक के लिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय से समय निश्चित किया जाना है।
- सभी सा./प्रा.स्वा केन्द्र स्तर पर आरआरटी चिन्हित की जाकर संस्था पर निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
- लू–तापघात के लिये आवश्यक बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित।
- मौसमी बिमारी कही भी पाये जाने पर जिला मुख्यालय, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मोबाईल न. 951575444 पर सूचना दिया जाना सुनिश्चित किया गया है।
- प्रभावित क्षैत्र मे चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स/मेल नर्स/प्रसाविका/आशा आदि का दल बनाया जाकर सर्वे एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी दिया जाना सुनिश्चित किया गया है।
- मौसमी बिमारी आदि के प्रभावी क्षैत्र मे रोकथाम एवं जानकारी प्रदान करने के लिये जिलास्तर पर अन्य सभी विभागो की होने वाली अन्य बैठक मे समन्वय कर जानकारी प्रदान करना प्रस्तावित है।
- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सम्पर्क कर शुद्व पेयजल सुनिश्चित किये जाने के लिये सा./प्रा स्वा. केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिये गये है।
- सभी सा./प्रा.स्वा.केन्द्र पर यह निर्देश प्रदान किये है कि ऐसे कुएँ जहॉ से जन साधारण पानी पिने मे उपयोग लेते है उनका समय–समय पर जल शुद्वीकरण कराया जाये और जल के नमूने लिये जाकर जन स्वा. अभियान्त्रिकी विभाग से जॉच करवाई जाये एवं जॉच रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करवाई जाये।
- 108 एम्बुलेन्स के सुचारू परिवहन पर विशेष ध्यान दिया जाये जिससे की समय आने पर उचित उपयोग किया जा सके।
- समाचार पत्र/पेम्पलेट/पोस्टर/फ्लेक्स आदि के माध्यम से जागरूकता किये जाने के लिये बताया गया।
- जिले मे जिला चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो जहॉ पीएसए प्लान्ट लगाये गये है आईसीयु बैड, आईसोलेट बेड, आरक्षित किये हुये है। आवश्यकतानुसार उपयोग किये जावेगे।

...त के बचाव के उपाय

1. लू–तापघात से प्रायः कुपोषित बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाऐं, श्रमिक आदि शीघ्र प्रभावित हो सकते है। इन्हें प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक तेज गर्मी से बचाने हेतु छायादार ठंडे स्थान पर रखने का प्रयास करें।
2. तेज धूप में निकलना आवश्यक हो तो ताजा भोजन करके उचित मात्रा में ठंडे जल का सेवन करके बाहर निकले।
3. थोड़े अन्तराल के पष्चात् ठंडे पानी, षीतल पेय, छाछ, ताजा फलों का रस का सेवन करते रहें।
4. तेज धूप में बाहर निकलने पर छाते का उपयोग करें अथवा कपडें से सिर व बदन को ढककर रखें।
5. अकाल राहत कार्यो पर अथवा श्रमिकों के कार्यस्थल पर छाया एवं पानी का पुर्ण प्रबन्ध रखा जावे ताकि श्रमिक थोड़ी–थोड़ी देर में छायादार स्थानों पर विश्राम कर सकें।

...चार

1. लू–तापघात से प्रभावित रोगी को तुरन्त छायादार ठंडे स्थान पर लिटा दें।
2. रोगी की त्वचा को गीले कपडे से स्पंज करते रहें तथा रोगी के कपड़ों को ढ़ीला कर दें।
3. रोगी होश में हो तो उसे ठंडे पेय पदार्थ देवें।
4. रोगी को तत्काल नजदीक के चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु लेकर जावें।

...त रोगियों को चिकित्सा संस्थानों में दिये जाने वाला उपचार

1. चिकित्सा संस्थानों के एक वार्ड में दो–चार बैड़ लू–तापघात के रोगियों के उपचार हेतु आरक्षित रखें जावें।
2. वार्ड का वातावरण कूलर व पंखे से ठंडा रखा जावे।
3. मरीज तथा उसके परिजनों के लिये षुद्ध व ठंडे पेयजल की व्यवस्था रखी जावें।
4. संस्थान में रोगी के उपचार हेतु आपातकालीन किट में ओ.आर.एस. ड्रीपसेट, जी.एन. एस./जी.डी.डब्ल्यू/रिंगरलेकटेट (आर.एल.) फ्यूड एवं आवष्यक दवाईयां तैयार रखी जावें।
5. चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ को इस दौरान ड्यूटी के प्रति सतर्क रखा जावें।
6. जन साधारण को लू–तापघात से प्रभावित होने पर बचाव के उपायों की जानकारी प्रचार–प्रसार के माध्यमों से दी जावें।

...ड स्तर पर सभी विभागों का सहयोग प्राप्त कर कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया ...ा जावें।

कार्यालय नगरपरिषद राजसमन्द

जिला परिषद रोड, राजनगर राजसमन्द 313324
E-mail - rajsamandnagarpalika@gmail.com
Telephone No. 02952-220034

क्रमांक : न.प.रा/ सामान्य/2025-26/567 दिनांक: 18/04/25

सेवामें,
श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय,
राजसमन्द, जिला – राजसमन्द|

विषय : रात्रि विश्रामगृह की सुचना भिजवाने बाबत|
प्रसंग : श्रीमान के पत्र क्रमांक प.14( )/सहा./2025/156-67 दिनांक 16.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है की नगर परिषद् राजसमन्द द्वारा परिषद् क्षेत्र में निम्नांकित आश्रय स्थल संचालित है:-

क्र.सं	आश्रय स्थल का नाम एवं स्थान	क्षमता	पेय जल (हाँ/ना)	कूलर (हाँ/ना)
1.	रेन बसेरा भीलवाडा, कांकरोली	48	हाँ	हाँ
2.	आश्रय स्थल न्यू ब्रह्मपुरी कॉलोनी धोइन्दा	48	हाँ	हाँ

उक्त दोनों आश्रय स्थलों का संचालन आश्रय स्थल की गाईडलाईन के अनुसार सम्पूर्ण मूल भुत सुविधाओं के साथ किया जा रहा है| अत: उक्त सुचना श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है|

आयुक्त
नगर परिषद् राजसमन्द
दिनांक: 18/04/25

क्रमांक : न.प.रा/ सामान्य/2025-26/568-69

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-
1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, राजसमन्द|
2. रक्षित पत्रावली|

आयुक्त
नगर परिषद् राजसमन्द

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक: प.14( ) आ.प्र.एवं सहा./लू–ताप/2025/177 दिनांक 22/04/2025.

प्रेषिति :

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन,सहायता एवं ना0सु0विभाग
जयपुर

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय के स्वप्रेरणा संज्ञान द्वारा हीटवेव की तैयारियों की अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने बावत।

प्रसंगः– श्रीमान के पत्र क्रमांक राजकाज 14842817 दिनांक 21.04.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2025 Suo Moto In Re : "Beat the heatwave and Climate Change to Save the life of Public at Large" की पालना में हीट वेव प्रबंधन के लिए तैयार की गई अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है–

<u>हीट वेव प्रबंधन के लिए की गई तैयारी की अनुपालना रिपोर्ट</u>

क्र.स.	एजेन्डा बिन्दु	विवरण
1	जिला स्तर पर	1. कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक 111 दिनांक 20.03.2025 द्वारा हीट वेव की स्थिति के प्रभावी शमन और प्रबंधन के लिए लू एवं ताप के बचाव से आमजन को राहत हेतु **"गर्मी/ताप की लहर (क्या करे और क्या ना करे)** एडवाईजरी जारी की गई है उक्त एडवाईजरी हीट वेव–2025 **गर्मी/ताप की लहर (क्या करे और क्या ना करे)** हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उप निदेशक कृषि विभाग, उपखण्ड अधिकारी समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, आयुक्त नगर परिषद, जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी व आयुक्त/अधिशाषी अभियंता नगरपालिका नाथद्वारा/आमेट/देवगढ/भीम के माध्यम से आमजन में प्रचार प्रसार किया एवं मीडिया में प्रचारित किया गया। 2. मौसम संबंधी जानकारी एवं पूर्वानूमान कार्यालय द्वारा ई–मेल के माध्यम से समस्त विभागों को प्रतिदिन भेजा जा रहा है। 3. कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक 132–33 दिनांक 01.04.2025 द्वारा हीट [illegible] प्रबंधन हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.2[illegible]:30:51 IST
Reason: Approved

		राजसमन्द को नोडल अधिकारी नामित किया गया। 4. कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक 139 दिनांक 02.04.2025 द्वारा समस्त जिला स्तरीय अधिकारीयों को हीट वेव 2025 के प्रभावी शमन हेतु हीट वेव एक्शन प्लान 2025 बनाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। 5. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 08.04.2025 को आयोजित बैठक में समस्त जिला स्तरीय अधिकारीयों को हीट वेव 2025 के प्रभावी शमन हेतु कंटिजेंसी प्लान बनाने एवं आम जन को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया। 6. जिला स्तर पर कन्ट्रोल रूम (02952–220569) स्थापित किया जाकर कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक 580 दिनांक 28.03.2025 द्वारा अप्रेल माह तक प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों(जिला आपदा त्वरीत कार्यवाही दल) को 3 पारीयों में 24*7 संचालित है।
2	जन सम्पर्क विभाग,राजसमन्द	1. जन सम्पर्क कार्यालय द्वारा गर्मी व लू–तापघात ,आंधी तुफान के संबंध में आमजन को एहतियात संबंध में प्रिंट इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है। 2. आंधी तुफान आकाशीय बिजली एवं तापमान से संबंधित सूचना प्रतिदिन अन्य विभागों से साझा की जा रही है।
3	चिकित्सा विभाग,राजसमन्द	1. जिला मुख्यालय पर 02952–221716 दूरभा I कन्ट्रोल रूम 24*7 संचालित है एवं सभी खण्ड मुख्यालयों पर कन्ट्रोल रूम सीापित कर संचालित है। 2. जिला मुख्यालय पर रेपिड रेस्पोन्स टीम की गठन किया जा चुका है। 3. जिला अस्पताल पर 20 बेड, सीएचसी पर 02 बेड एवं पीएचसी पर 01 बेड लू–तापघात के मरीजों के लिये आरक्षित कर दिये गये है। 4. चिकित्सा संस्थानों पर आरआरटी किट तैयार कर दिये गये है। 5. लू–तापघात से बचने हेतु आईईसी सामग्री को खण्ड में भिजवा दिया गया है जिसें संस्थान पर प्रदर्शित किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। 6. नियमित रूप से पीने के पानी की नमुनो की जांच जिला लैब द्वारा करवायी जा रही है। 7. जिला राजसमन्द में 108 एम्बुलेंस,बेस एम्बुलेंस तथा एमएमयू ऑनरोड रखे जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
4	पशुपालन विभाग,राजसमन्द	1. नोडल क्षेत्र में टीम का गठन किया जा चुका है। 2. पशुओं हेतु पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 3. भारवाहक पशुओं को प्रातःकाल अथवा सायंकाल में उपयोग में लेने हेतु पशुपालकों को प्रेरित किया जा रहा है।
5	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,राजसमन्द	1. पेय जल से संबंधित शिकायतों के लिए कन्ट्रोल रूम 02952–223136 स्थापित कर दिया गया है। 2. पेय जल अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा जल परिवहन

Validity unknown Signature valid
Digitally signed by Balmukund Asawa
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.04.2? ?:30:51 IST
Reason: Approved

k:14848733

		करवाया जाना प्रस्तावित है। 3. ग्रीष्म ऋतु हेतु कन्टीजेंसी प्लान तैयार कर पम्प सेट,पाईप लाईन आदि के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है।
6.	श्रम विभाग,राजसमन्द	1. समस्त नियोजकों को श्रमिकों के कार्यसमय में परिवर्तन कर लू–ताप से बचाने हेतु जिला श्रम कल्याण अधिकारी राजसमन्द के पत्रांक 111 दिनांक 16.04.2025 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। 2. श्रमिकों हेतु कार्यस्थल पर शीतल पेयजल एवं प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
7.	स्वायत शासन विभाग,राजसमन्द	1. शहर के प्रमुख स्थलों पर स्वच्छ पेयजल एवं पर्याप्त छाया का प्रावधान किया जा रहा है। 2. अत्यधिक तापमान की स्थिति में शहर के मुख्यमार्गों पर पानी का छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है। 3. पक्षियों के लिये विभिन्न पार्को में परिन्डे एवं जलपात्रों के इन्तजाम कर दिये गये है। 4. मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारण्टी योजना के तहत नियोजित श्रमिकों की समयावधि में परिवर्तन कर दिया गया है। 5. शहर में स्थित समस्त रेन बसेरों में पेयजल एवं कुलर की व्यवस्था कर दी गयी है।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ba[illegible]ukund Asawa
Designation : Collec[illegible] & District Magistrate
Date: 2025.04.2[illegible]:30:51 IST
Reason: Approved

No: 14348733

Part 3

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द

क्रमांक : प/आई0आर0/2025-26/ 111 दिनांक : 16.04.2025

सूचना

मुख्यालय से प्राप्त निर्देशो की पालना मे जिले के श्रमिकों को लू-तापघात से बचाव हेतु नियोजकों को निम्न उपाय करने हेतु निर्देशित किया जाता है-

1. संस्थान मे कार्यरत श्रमिको को लू-तापघात, मौसमी बीमारी से बचाने हेतु आवश्यक प्रबन्ध किये जावे।
2. कार्यस्थल पर श्रमिको हेतु स्वच्छ एवं शीतल पेयजल, आईस पैक की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।
3. ठेका श्रम (नियमन एव उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के तहत कार्यस्थल पर केन्टीन, रेस्टरुम, पेयजल, शौचालय एवं प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जावें।
4. माह मई-जून मे दोपहर 12 से 03 बजे तक लू एवं ताप का प्रभाव सर्वाधिक होने के कारण श्रमिको के कार्यसमय मे आवश्यक परिवर्तन कर उन्हें लू एव ताप से बचावें।
5. ऐसे संस्थान जहाँ पीस रेट पर दिहाडी श्रमिक नियोजित किये जाते है वहाँ पीस के हिसाब से उसकी मजदूरी की दरो मे कमी नहीं की जावें।

(उमेश राईका)
श्रम कल्याण अधिकारी
राजसमन्द

क्रमांक : प/आई0आर0/2025-26/ 112-115 दिनांक : 16.04.2025

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर राजसमन्द।
2. श्रीमान अतिरिक्त श्रम आयुक्त, राजस्थान।
3. श्रीमान जनसम्पर्क अधिकारी राजसमन्द को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
4. नियोजक संस्थान समस्त राजसमन्द को पालनार्थ।

श्रम कल्याण अधिकारी
राजसमन्द

कमरा नं. 302 जिला कलेक्ट्रेट, राजसमन्द
(Email Id – lwo.rajsamand@rajasthan.gov.in - Phone No. - 02952-222522)

लू और तापघात के दिशा निर्देश

लू-तापघात से आम जनता भली प्रकार परिचित है एवं समय-समय पर सरकार एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थायें विभिन्न माध्यमों से स्वास्थ्य षिक्षा एवं लू-तापघात से बचने के लिये जन जागृति पैदा करती रही हैं। फिर भी पूर्व वर्षो की भांति इस वर्ष भी आम जनता के सूचनार्थ व ज्ञानार्थ पुनः वर्णित किया जाता है। ताकि लू व तापघात से आम जनता अपना बचाव कर सके।

इस गर्मी के प्रकोप मे लू से कोई भी आकान्त/ग्रसित हो सकता है। परन्तु बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाऐं धूप में व दोपहर में कार्यरत श्रमिक, यात्री, खिलाडी व ठंडी जलवायु में रहने वाले व्यक्ति अधिक आकान्त होते है।

लू व तापघात के लक्षण

शरीर में लक्षण व पानी अपर्याप्त होने पर विषम गर्म वातावरण में लू व तापघात निम्नांकित लक्षणों के द्वारा प्रभावी होता है:-

1. सिर का भारीपन व सिरदर्द।
2. अधिक प्यास लगना व शरीर में भारीपन के साथ थकावट।
3. जी मिचलाना, सिर चकराना व षरीर का तापमान बढना।
4. शरीर का तापमान अत्यधिक (105° F या अधिक) हो जाना व पसीना आना बंद होना, मुंह का लाल हो जाना व त्वचा का सूखा होना।
5. अत्यधिक प्यास का लगना बेहोषी जैसी स्थिति का होना/बेहोश होना।
6. प्राथमिक उपचार/समुचित उपचार के अभाव में मृत्यु भी संभव है।

उक्त लक्षण लवण पानी की आवष्यकता व अनुपात विकृति के कारण होती है। मस्तिष्क का एक केन्द्र जो मानव के तापमान को सामान्य बनाये रखता है, काम करना छोड़ देता है। लाल रक्त कोशिकायें रक्त वाहिनायों में टूट जाती है व कोषिकाओं में जो पोटैशियम लवण होता है व रक्त संचार में आ जाता है। जिसमें हृदय गति व षरीर के अन्य अव्यव व अंग प्रभावित होकर लू तापघात के रोगी की मृत्यु के मुंह में धकेल देते है।

उक्त परिपत्र की व इससे पूर्व भेजे गये परिपत्रों के संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा प्रचार करें वैसे तो सभी चिकित्सक बचाव व उपचार जानते है परन्तु आपकी सामन्य जानकारी हेतु बचाव उपचार के कुछ मुख्य बिन्दु पुनः उल्लेखित है।

कार्यालय नगरपरिषद राजसमन्द

जिला परिषद रोड, राजनगर राजसमन्द 313324
Email: rajsamandnagarpalika@gmail.com
Telephone No. 02952-220034

क्रमांक : न.प.रा./हीटवेव/2025-26/ 593
दिनांक: 22/04/2025

प्रति
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
राजसमन्द (राज.)

विषय: [illegible] हीटवेव की स्थिति के प्रभावी शमन और प्रबन्धन के लिये लू एवं ताप के बचाव के सम्बन्ध में
संदर्भ: [illegible] क्रमांक [illegible] 2025/177 दिनांक 17/04/2025

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र में निवेदन है की गत वर्ष से तापमान में निरन्तर वृद्धि होने के कारण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ग्रीष्म मौसम के लिए तापमान एवं वर्षा पर मार्च 2025 के दौरान मौसम आउटलुक जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में वर्ष 2025 में हीटवेव की स्थिति के प्रभावी शमन और प्रबन्धन हेतु लू एवं ताप के बचाव से आमजन को राहत हेतु नगर परिषद राजसमन्द द्वारा निम्नानुसार प्रयास किये जा रहे है:-

1. शहर के प्रमुख स्थलों पर स्वच्छ पेयजल एवं पर्याप्त छाया का प्रबन्ध निम्न स्थानों पर किया जा रहा है:-
   1. फव्वारा चौक, राजनगर
   2. गढ़ा सेन माता मन्दिर के सामने, कांकरोली
   3. TVS चौराहा
   4. भीलवाड़ा बस स्टैंड
   5. कलेक्टरी चौराहा, 100फीट रोड
   6. [illegible] कांकरोली
2. महात्मा गांधी शहरी रोजगार [illegible] योजना में नियोजित श्रमिकों के कार्य समयावधि में बदलाव प्रातः 6:00 बजे से दोपहर [illegible] बजे तक दिनांक 18.04.2025 से कर दिया गया है साथ ही कार्यस्थल पर पर्याप्त पेयजल एवं छाया का प्रबन्ध शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है।
3. अधिक तापमान बढ़ने पर शहर की प्रमुख सड़कों पर फायर वाहन से पानी का छिड़काव किया जावेगा।
4. पशुओं के पीने के पानी के लिये शहर के विभिन्न स्थानों पर जलपात्रों का प्रबन्ध किया जा रहा है एवं पुनः भरने हेतु टैंकर की व्यवस्था की गई है।
5. पक्षियों के लिए जलपात्र/ परिन्डे नगर परिषद द्वारा क्रय किये जा चुके है एवं प्रत्येक वार्ड पार्षद को 5-5 परिन्डे वितरण किये जा रहे है एवं शहर के विभिन्न पार्कों में जलपात्र/ परिन्डे लगवाने का कार्य भी किया जा रहा है एवं उन्हें समय समय पर पुनः भरने हेतु अलग से व्यवस्था की गई है।

अतः एडवाइजरी हीटवेव-2025 "गर्मी/लू/ताप की लहर (क्या करें और क्या न करें)" की पालना करते हुए आमजन में व्यापक प्रचार प्रसार किया जावेगा जिससे राजसमन्द नगर परिषद क्षेत्र में लू एवं ताप से आमजन को राहत मिल सके व सावधानी बरतें।

आयुक्त
नगर परिषद राजसमन्द

क्रमांक: न.प.रा./ हीटवेव/2025-26/
दिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. श्रीमान निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर, राजस्थान।
2. श्रीमान उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर, राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल आमेट जिला राजसमंद (राज0)

क्रमांक:- नपाआ/2025/132 दिनांक :- 28/04/2025

अनुभाग प्रभारी
28-4-2025

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
राजसमंद(राज0)

विषय :- हीटवेव के संबंध में एक्शन प्लान।

प्रसंग :- श्रीमान् के पत्र क्रमांक प.14( )आ.प्र./लू-तापघात/2025/177 दिनांक 17.04.2025 के क्रम में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि हीटवेव की तैयारी और शमन उपाय हेतु हीटवेव एक्शन प्लान निम्नानुसार तैयार कर श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है:-

1. शहर के व्यस्तम स्थानों पर सड़को पर पानी का छिड़काव किया जाना।
2. पांच सार्वजनिक धार्मिक एवं व्यस्तम स्थलो पर जल शीतलपेयजल व छाया की व्यवस्था की जाएगी।
3. आमजन को जागरूकता हेतु धूप से बचाव व संबधित बिमारी से सुरक्षा हेतु शहर में फ्लेक्स लगाये जाना।
4. पक्षियों के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर 400 परिंडे लगाये जाना।
5. पशुओं के पेयजल हेतु शहर स्थित प्याउ (दो) की सफाई व दैनिक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका आमेट
दिनांक 28/04/2025

क्रमांक :- नपाआ/2025/133
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-
1. श्रीमान् उपखंड अधिकारी महोदय, आमेट।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका आमेट
नगर पालिका, आमेट

215

आवश्यक कार्यवाही 28.4.2025

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा [illegible]

[illegible]

क्रमांक – मुशिअ [illegible] 2025 [illegible] दिनांक [illegible]

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
राजसमन्द

विषय– हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करने बाबत ।

प्रसंग – आपके कार्यालय के पत्रांक 177 दिनांक 17.04.2025 के क्रम में

महोदय उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक [illegible] एक्शन प्लान तैयार कर निम्नानुसार श्रीमान की सेवामें प्रेषित है:-

स्कूल के लिए हीट वेव (लू) एक्शन प्लान

1 तैयारी और जागरूकता हीट वेव नीति तैयार करेंगे।–

- छात्र–छात्राओं के अभिभावको को लू–से बचने के लिए जागरूक करना
- लू के लक्षण (थकावट, चक्कर आना, बुखार आदि) की पहचानने के दिशा–निर्देश दिये जायंगे।
- पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचने के उपायों के दिशा निर्देश दिये जायेंगें।

2 बुनियादी ढांचा और वातावरण ठंडा रखने की व्यवस्था–

- कक्षा मे वेंटिलेशन सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश प्रदान करेंगे।
- पंखे या कूलर का इस्तेमाल करने हेतु निर्देश प्रदान करेंगे।
- दोपहर मे खेल मैदान या खुले स्थानों में छाया [illegible]
- स्पोर्ट्स, पी.टी. और असेंबली जैसी आउटडोर गतिविधियाँ छायादार स्थान पर करने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करेगें। असेंबली या माइक से बच्चों को रोज़ गर्मी से बचाव के उपाय बताएगें।

3 पानी की उपलब्धता–

- स्कूल में जगह–जगह पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पाबंद करेगें।
- बच्चों को पानी की बोतल लाने के लिए प्रोत्साहित करेगें।

4 स्वास्थ्य और प्राथमिक उपचार "कूल डाउन रूम" की व्यवस्था–

- ओ.आर.एस., ठंडी पट्टियाँ, पानी और अन्य ज़रूरी दवाइयाँ उपलब्धता सुनिश्चित करेगें।
- निकटस्थ चिकित्सालय से हीट स्ट्रोक या हीट एग्ज़ॉशन की स्थिति में प्राथमिक उपचार देने हेतु फास्ट एड किट की उपलब्धता सुनिश्चित करेगें।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा राजसमन्द

कार्यालय नगरपालिका आमेट, जिला–राजसमन्द (राज0)

क्रमांकः– न.पा.आ/2025/122 दिनांकः– 28/04/2025

–: कार्यालय आदेश :–

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2025 में हीटवेव की स्थिति के प्रभावी शमन और प्रबंधन हेतु लू एवं ताप के बचाव हेतु नगर पालिका आमेट शहर के प्रमुख स्थलों पर स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था की जानी है जिस हेतु निम्न कर्मचारी की ड्यूटी "पेयजल काउंटर प्रभारी" के रूप में निम्नानुसार लगायी जाती है–

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं0	प्याउ स्थान	आंवटित कार्य
01	श्री चमन सिंह गहलोत, कनिष्ठ सहायक	9001388314	धर्मशाला के सामने रेल्वे स्टेशन आमेट	आंवटित स्थलों पर स्वच्छ पेयजल एवं पर्याप्त छाया का सम्पूर्ण प्रबंधन।
02	श्री श्रीपाल पारीक, सहायक राजस्व निरीक्षक	8209843102	बस स्टेंड आमेट	
03	श्री कृष्णकांत शर्मा, कनिष्ठ सहायक	9680656179	लक्ष्मीबाजार आमेट	
04	श्री गोपाल एवं ईश्वरलाल कार्यवाहक जमादार	9664492441	विवेकानंद सर्कल आमेट	

अतः प्रभारी श्री बलवंत सिंह राठौड़ वरिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि अपने सुपरविजन में उक्त कार्यो का कियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी प्रकार की शीतलता नहीं बरती जावें।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, आमेट
दिनांकः– 28/04/2025

क्रमांक/न.पा.आ./2025/123-126
प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमंद।
2. श्रीमान् उपखंड अधिकारी महोदय, आमेट।
3. संबधित कर्मचारी
4. रक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका आमेट

Relied
16.04.2025

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ.8(2)शि./सा.प/आई.आर/श्रम/2023/ जयपुर, दिनांक

संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त
श्रम कल्याण अधिकारी समस्त.......................

विषयः— भीषण गर्मी से बचाव के संबंध में दिशा—निर्देश ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मौसम विभाग भारतसरकार के स्तर से जारी हीटवेव द अलर्ट अनुसार इस वर्ष पडने वाली आगामी भीष्ण गर्मी से सुरक्षा/बचाव हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित् करावें :—

1. जिलों में अवस्थित ओद्योगिक संस्थानों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यरत श्रमिकों को मौसमी बीमारी, लू—तापघात से बचाने का कारगर प्रबन्ध कराये जाने के लिये नियोजक को पाबन्द किया जावे ।
2. समस्त औद्योगिक नियोजकों को स्वच्छ ठण्डा पेय जल उपलब्ध कराने हेतु पाबन्द किया जाये तथा किसी भी हालत में पानी की गुणवत्ता मे समझौता नहीं किया जाए ।
3. समस्त संस्थानों मे ठेका श्रम (नियमन एंव उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के तहत कैन्टीन, रेस्ट रूम, पीने का पानी लैट्रिन व यूरिनल्स एंव प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाए उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावे ।
4. माह मई—जून में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लू एंव ताप का प्रभाव सर्वाधिक होता है । इसलिए नियोजक श्रमिकों के कार्य—समय को इस प्रकार पुनः निर्धारित करे कि श्रमिकगण लू—ताप से बच सके ।
5. गर्मी के समय मे मौके पर आवश्यक दवाईया एंव आवश्यकता पडने पर तुरंत उपलब्ध होने वाले नर्स एंव कम्पाउण्डर की व्यवस्था हेतू चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर श्रमिकों का हैल्थ चैक अप करवाया जाना नियोजक से सुनिश्चित् करावे ।
6. ऐसे संस्थान जहॉ पीस रेट पर दिहाडी श्रमिक नियोजित किये जाते है वहॉ मानवीय दृष्टिकोण रखते हुये पीस के हिसाब से उसकी मजदूरी की दरों मे कमी नहीं की जाए ।
7. आपात काल के लिये लू—ताप से बचाव हेतु कार्यस्थल पर आईस—पैक की व्यवस्था रखी जावे, विशेष रूप से जहां निर्माण कार्य चल रहे है, इस संबंध में स्वास्थ्य जॉच के लिये स्वास्थ्य विभाग से संमन्वय स्थापित किया जावे ।

उक्त दिशा—निर्देशो के कम मे जिला कलेक्टरों से समन्वय करते हुए पालना कराया जाना सुनिशचित करावें तथा कि गई कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करावें।

(धर्मपाल सिंह)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :— एफ.8(4)शि./सा.प/आई.आर/श्रम/2023। जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना बायलर्स एंव ई.एस.आई.विभाग, राजस्थान जयपुर ।
1. निजी सचिव श्रम आयुक्त राजस्थान जयुपर ।
2. निजी सचिव, जिला कलक्टर, समस्त ....राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharampal Singh
Designation : Additional Labour Commissioner
Date: 2025.04.15 10:25:36 IST
Reason: Approved

अतिरिक्त आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।